## न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 171/2025 (GCMS : 2025/260)

**राजेन्द्र कौर** पत्नी शिवराज उम्र 60 वर्ष जाति जटसिख निवासी 2 जेजे, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्रीमान् अजीत गोदारा, **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर**
2. **जसविन्द्र सिंह** पुत्र श्री शिवराज जाति जटसिख निवासी 2 जेजे, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर
3. **वीरपाल कौर** पुत्री शिवराज जाति जटसिख निवासी 2 जेजे, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर
4. **सुखपाल कौर** पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 जेजे, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**10.03.2026**

**प्रार्थिया राजेन्द्र कौर दिनांक 09.03.2026 को स्वयं** उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर के समक्ष धारा 23 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम का प्रकरण संख्या 02/2025 अनवानी राजेन्द्र कौर बनाम जसविन्द्र सिह विचाराधीन है, में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब उनका पंचायत के मौतबिरान लोगों की मौजूदगी में राजीनामा हो गया है, इसलिए वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनके प्रकरण की कार्यवाही को दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थिया यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2025 अनवानी राजेन्द्र कौर बनाम जसविन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 23 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का राजीनामा हो गया है, इसलिए वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र एवं मतदाता पहचान पत्र पत्रावली में उपलब्ध है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested